सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 410 राँची, मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 (ई०)

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

---

संकल्प

21 जुलाई, 2025

**संख्या-5/आरोप-1-92/2015-32097(HRMS)--**श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-35/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची के विरूद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक-447(i)/रा0, दिनांक 14.12.2015 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

उक्त आरोप पत्र में इनके विरूद्ध रिंग रोड के निमित्त भू-धारियों को मुआवजा भुगतान हेतु जाँच प्रतिवेदन लंबित रखने, दाखिल-खारिज का भारी संख्या में लंबित होना, दाखिल-खारिज के कई मामलों का कर्मचारी स्तर पर महीनों से लंबित होना, दाखिल- खारिज के सैकड़ों आवेदनों को अपडेट न कर कार्यालय में अनधिकृत तरीके से रखना, सेवा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना एवं नामकुम अंचल के खतियान के आनलाईन होने के बावजूद पंजी-II का परम्परागत तरीके से इन्ट्री जारी रखने एवं संगत इन्ट्री को आनलाईन नहीं करने तथा पंजी-II में कई गलत इन्ट्रीयों का आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

पुनः उपायुक्त, राँची के पत्रांक-207(i)/रा0, दिनांक 28.05.2016 द्वारा श्रीमती टुडू के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध नामकुम अंचल के मौजा-

तुम्बागुटू में सेना के लिए अधिग्रहित भूमि का कई व्यक्तियों के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

श्रीमती टुडू के विरूद्ध दोनों आरोप पत्र में गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-3793, दिनांक 21.03.2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-317, दिनांक 02.11.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती टुडू के विरूद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक-447(i)/रा0, दिनांक 14.12.2015 द्वारा गठित प्रथम आरोप पत्र के आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया। परन्तु उपायुक्त, राँची के पत्रांक-207(i)/रा0, दिनांक 28.02.2016 द्वारा गठित द्वितीय आरोप पत्र गठित आरोपों के संबंध में निम्नांकित मंतव्य गठित किया गया- "आरोपी के द्वारा मौजा-तुम्बागुटू में स्थित प्रतिरक्षा विभाग की जमीन के नामान्तरण में लापरवाही बरतने का आरोप सही प्रतीत होता है ।''

श्रीमती टुडू के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षोपरांत श्रीमती टुडू के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-2807, दिनांक 02.04.2022 द्वारा श्रीमती टुडू से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्रीमती टुडू के पत्रांक-810/भू0अ0, दिनांक 29.06.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया ।

श्रीमती टुडू के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित जवाब एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उनके द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-26661(HRMS), दिनांक 01.08.2024 द्वारा श्रीमती टुडू के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्वि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्रीमती टुडू के पत्र, दिनांक 28.10.2024 द्वारा महामहिम राज्यपाल झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन दायर किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-3288, दिनांक 17.12.2024 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्रीमती टुडू द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित मुख्य तथ्य निम्नवत् है-

(i) खतियानी रैयत के मूल जमाबंदीदार/मूल पंजी-II रैयत जिनकी जमीन प्रतिरक्षा विभाग के नाम से वर्ष 1987 में अधिग्रहित की गई, परन्तु अधिग्रहण/मुआवजा प्राप्ति के पश्चात भी मूल रैयतों के द्वारा 2001 से संबंधित जमीन की कपटपूर्ण तरीके से खरीद-बिक्री की जाती रही थी, जिसके फलस्वरूप नयी जमाबंदी कायम होती रही (नामंतरण की प्रक्रिया भी होती रही)। भू-अर्जन की गजट वर्ष 1987 में ही प्रकाशित है अथवा अधिग्रहिता की गई है।

(ii) अपर समाहर्ता, राँची उपायुक्त/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के द्वारा अधिग्रहित भूमि रैयतवार खाता, प्लॉट, रकवा किस मूल रैयत से अधिग्रहित हुआ का कोई विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया, बल्कि सिर्फ गजट की प्रति उपलब्ध कराया।

(iii) प्रतिरक्षा विभाग के नाम से भूमि का अधिग्रहण 1987 में ही किया गया, परन्तु इनको 2014 में दाखिल-खारिज के लिए अपर समाहर्ता के द्वारा आदेश दिया गया तथा इनके द्वारा जमाबंदी कायम किया गया। परन्तु 2001 से 2015 तक मूल रैयतों के द्वारा कपटपूर्ण तरीके से अधिग्रहित जमीन का क्रय-विक्रय करते गये तथा नया जमाबंदी कायम होते गया अर्थात नामांतरण की प्रक्रिया अनवरत चलती रही ।

(iv) इनके द्वारा प्रतिरक्षा विभाग के लिए अधिग्रहित जमीन का जमाबंदी (दाखिल- खारिज) कायम किया गया तथा पूर्व से चली आ रही दोहरी जमाबंदी को तथा वर्ष 2001 से 2015 तक चली आ रही दोहरी जमाबंदी का अभिलेख संधारित कर विविध वाद सं0-04/ 15-16 पर खोल कर दोहरी जमाबंदी के विलोपन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची को दोहरी जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची द्वारा जमाबंदी विलोपन की कार्रवाई की गई।

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत भूमि के दाखिल-खारिज का विकल्प आनलाईन सिस्टम में नहीं था। इस संबंध में सभी वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। भू-अर्जन के पश्चात भूमि के दाखिल-खारिज का सॉफ्टवेर 2021 में लाया गया ।

(vi) मौजा-तुम्बागुट के खाता सं0-93, प्लॉट सं0-1574 की भूमि का नामांतरण की प्रक्रिया में संबंधित रा0क्रय0/अ0नि0 ने किसी भी मामले में भूमि अर्जित है, का प्रतिवेदन नहीं दिया था और न ही दोहरी जमाबंदी का जिक्र किया है ।

(vii) इनके कार्यावधि में ही वर्ष 2001 से 2015 तक मूल रैयतों द्वारा कपटपूर्ण तरीके से क्रय-विक्रय की गई भूमि/दोहरी जमाबंदी कायम हुई का विविध वाद सं0-04/15-16 संधारित कर कायम दोहरी जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के उपरान्त ही भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची द्वारा आदेश ज्ञापांक-1946(ii) दिनांक-17.08.2016 द्वारा दोहरी जमाबंदी विलोपित की गई ।

श्रीमती टुडू द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा अपील आवेदन में कोई भी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अपितु श्रीमती टूडू द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपर समाहर्ता, राँची, उपायुक्त/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के द्वारा अधिग्रहित भूमि रैयतवार खाता, प्लॉट, रकवा किस मूल रैयत से अधिग्रहित हुआ इसका कोई विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया, बल्कि सिर्फ गजट की प्रति उपलब्ध कराया गया। साथ ही श्रीमती टूडू द्वारा दोहरी जमाबंदी के लिए राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं दाखिल खारिज हेतु आनलाईन सिस्टम का ना होना, को आधार बनाकर अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है, जो उचित नहीं है ।

समीक्षोपरांत, श्रीमती टुडू द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-26661(HRMS), दिनांक 01.08.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड "असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्वि पर रोक" को यथावत् रखने के प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 11.07.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है ।

अतः श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0- 26661(HRMS), दिनांक 01.08.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड "असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्वि पर रोक" को यथावत् रखा जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

| **Sr No.** | **Employee Name**<br><br>**G.P.F. No.** | **Decision of the Competent authority** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | KUMUDINI TUDU<br><br>20060400028 | श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०- 26661(HRMS), दिनांक 01.08.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड "असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्वि पर रोक" को यथावत् रखा जाता है । |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनल प्रतीक मिंज,**
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 410 - 50